भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
केंद्र-1,विश्व व्यापार केंद्र
मुंबई-40005

अधिसूचना सं. गैबैंपवि नीति प्रभा.(SC/RC)/ 8 / सीजीएम (एएसआर)-2009-10
दिनांक : 21 अप्रैल 2010

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए; "प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003" को संशोधित करना आवश्यक है, वित्तीय परिसंपत्तियों(आस्तियों) के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10 तथा 12 एवं इस संबंध में उसे प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देता है कि 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि. 2/ सीजीएम(सीएसएम)-2003 में अंतर्विष्ट निदेश, जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है, निम्नवत संशोधित होंगे अर्थात-

1. निदेश के पैराग्राफ 3 (1) में खंड (iii) को निम्नलिखित खंड (iii) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(iii) "अर्जन की तारीख" का अर्थ उस तारीख से है जिस तारीख को प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व अपनी बहियों में या ट्रस्ट की बहियों में सीधे ग्रहण करती है;"

2. निदेश के पैराग्राफ 7(1) में, खंड (i) में, उपखंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा।

"(क) अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में सीधे अर्जन के मानदण्ड और प्रक्रिया;"

3. निदेश के पैराग्राफ 7(6) में, खंड (ii) में के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे।

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नीति बनाएगी जिसके अंतर्गत संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि उनके अर्जन की तारीख से पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निदेशक बोर्ड वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ा सकेगा जो संबंधित परिसंपत्ति के अर्जन की तारीख से कुल मिलाकर आठ वर्षों से अधिक अधिक नहीं होगी।

(iv) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निदेशक बोर्ड उक्त खंड (ii) तथा खंड (iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करेगा।

(v) अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को बढ़ी हुई अवधि, यदि वसूली की अवधि खंड (iii) के अंतर्गत बढ़ाई गई हो, के अंत में उक्त अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों का अवलंबन लेने के अधिकार होगे।

(vi) यदि उक्त खंड (iii) के अंतर्गत वसूली की अवधि न बढ़ाई गई हो तो अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता उक्त अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों का अवलंबन खंड (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर लेने के हकदार होंगे"।

4. निदेश के पैराग्राफ 8 में उप पैराग्राफ (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा:-

"(1) <u>प्रतिभूति रसीदें जारी करना</u>:- प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और (2) के उपबंधों को, विशेषरूप से इस प्रयोजन से स्थापित किए गए एक या अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी। प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को उक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जिस पर वे प्रवर्तक(ऑरीजनेटर) से अर्जित की गई हों"।

5. निदेश के पैराग्राफ 10 में खंड (ii) निम्नलिखत से प्रतिस्थापित होगा:

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अपनी बेशी निधियों का निवेश अपने निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार केवल सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी ही संस्थाओं की जमाराशियों के रूप में रखेगी"।

6. निदेश के पैराग्राफ 10, खंड (iii) को निम्नलिखत खंड (iii) से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(iii) कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी:-

बशर्ते यह प्रतिबंध प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा उसके अपने उपयोग के लिए भूमि और भवन में निवेश करने पर लागू नहीं होगा यदि वह उसकी स्वाधिकृत निधियों के 10 % तक हो;

बशर्ते इसके अलावा यह प्रतिबंध किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा सरफायसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के सामान्य कारोबार के अंतर्गत अपने दावों की पूर्ति के लिए अर्जित भूमि एवं भवन पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते इसके अलावा प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के सामान्य कारोबार के दौरान अर्जित भूमि तथा / या भवन अपनी प्रतिभूतियों के हितों के प्रवर्तन के दौरान ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष या बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की प्राप्तियों के लिए अनुमत विस्तारित अवधि में उनका निपटान कर दिया जाए।

7. निदेश के पैराग्राफ 12(1)(i) में शब्दों परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के बाद तथा निम्नलिखित श्रेणियों/वर्गों के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:-

"अपनी स्वयं की बहियों में धारित"

8. निदेश का पैराग्राफ 12(1)(ii)(ग) को निम्नवत संशोधित किया जाएगा:

(ग) "हानिगत परिसंपत्ति" यदि (ए) परिसंपत्ति 36 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक रहती है, (बी) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने के कारण या प्रतिभूति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से प्रतिकूल रूप से

प्रभावित हुई हो; (सी) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी ने या उसके आंतरिक या वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा परिसंपत्ति को "हानिगत परिसंपत्ति" के रूप में पहचाना गया हो; या प्रतिभूति रसीद सहित वित्तीय परिसंपत्ति पैराग्राफ 7(6)(ii) या 7(6)(iii) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित वसूली योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल समय-सीमा में वसूली न जा सकी हो और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी या उनके ट्रस्ट के पास लगातार धारण रही हो"।

9. निदेश के पैराग्राफ 15(1) में खंड (iv) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़े जाएंगे:

(v) वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में अर्जित वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य;

(vi) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों से हुई वसूली का मूल्य;

(vii) वित्तीय वर्ष के अंत में वसूली के लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य;

(viii) वित्तीय वर्ष के दौरान अंशत: अदा की गई प्रतिभूति रसीदों तथा पूर्णत: अदा हुई प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;

(ix) वित्तीय वर्ष के अंत में अदा होने के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;

(x) पैराग्राफ 7(6)(ii) या 7(6)(iii) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए निर्मित नीति के अंतर्गत वसूली न हो पाने के कारण जिन प्रतिभूति रसीदों की अदायगी नहीं हो सकी, उनका मूल्य;

(xi) परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के (वर्ष-वार) सामान्य कारोबार के अंतर्गत अर्जित भूमि एवं/या भवन का मूल्य।

(ए. एस. राव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक